सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 101 राँची, शनिवार, 1 माघ, 1938 (श०)
21 जनवरी, 2017 (ई०)

## नगर विकास एवं आवास विभाग

---

अधिसूचना

9 जनवरी, 2017

**संख्या :- 8/गठन/108/2016/न०वि०आ०-202**-- बिहार नगर निगम अधिनियम, 1978 (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा-2 की उपधारा-(1) एवं (2) में किये गये प्रावधान के आलोक में गजट अधिसूचना संख्या-669, दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 के द्वारा पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिले के जमशेदपुर एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं जुगसलाई नगरपालिका के अधीन शहरी क्षेत्र एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को समाहित करते हुए जमशेदपुर नगर निगम के गठन हेतु ''प्रारूप आदेश'' निर्गत किया गया था ।

जमशेदपुर नगर निगम के गठन से संबंधित उक्त ''प्रारूप आदेश'' के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(C) No.-517/2006, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया । माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक 23 जून, 2006 को

पारित न्यायादेश के द्वारा गजट अधिसूचना संख्या-669, दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 को set aside कर दिया गया ।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP (Civil) No.-14926/2006, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य दाखिल किया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2008 को पारित न्यायादेश के द्वारा यथास्थिति बरकरार रखे जाने का आदेश पारित किया गया ।

पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में SLP (Civil) No.-14926/2006, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य से उदभूत Civil Appeal No.-467/2008, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 20 सितम्बर, 2014 को विभाग की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को पारित न्यायादेश में Civil Appeal No.-467/2008, टाटा स्टील लि० बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य निष्पादित किया जा चुका है ।

इस प्रकार जुगसलाई नगरपालिका के मूल रूप को लघुत्तर शहरी क्षेत्र (नगर परिषद, वर्ग-'ख') के रूप में उत्क्रमित किये जाने में किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन नहीं है ।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई नगरपालिका जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के आँकड़ों के आधार पर 49660 होने के फलस्वरूप जुगसलाई नगरपालिका के मूल रूप को लघुत्तर शहरी क्षेत्र (नगर परिषद, वर्ग-'ख') के रूप में घोषित करने संबंधी 'प्रारूप आदेश' निर्गत करना चाहते हैं ।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के ''झारखण्ड गजट'' में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर जुगसलाई नगर परिषद, वर्ग-'ख' के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं ।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

**प्रारूप आदेश**

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जुगसलाई नगरपालिका के मूल रूप को लघुत्तर शहरी क्षेत्र (नगर परिषद वर्ग-'ख') के रूप में घोषित करते हैं ।

2. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-3501, दिनांक 1 जुलाई, 2016 को रद्द किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 101--300